बौद्ध काल :- भारतीय संस्कृति संसार की सबसे प्राचीन संस्कृति रही है यहाँ पर अन्यों देशो के व्यक्तियों ने आकर भारतीयों संस्कृति को नष्ट कर दिया| योरोपीय व पश्चिमी देशो से आये आर्यो ने नीग्रो व द्रविडो के साथ धोका करके उनकी सभ्यता व संस्कृति को न केवल नष्ट किया बल्कि उन्हें अपना दास बनाया | कर्म आधारित व्यवस्था को परिवर्तित कर जन्म आधारित व्यवस्था भारत में फलीभूत होने लगी| भारतीय शिक्षा पर ब्राहमण वर्ग का एक छत्र साम्राज्य स्थापित हो गया, शुद्र वर्ग को पूर्ण रूप से शिक्षा से वंचित कर दिया गया | इस कारण वे सरकारी कार्यों व अन्य व्यवसायों से वंचित हो गये | किसी भी देश का इतिहास उठाकर देखिए जब कोई विचारधारा अति को पर करती है तो दूसरी विरोधी विचारधारा को जन्म मिलता है , हमारे देश में भी ऐसा ही हुआ। जब उत्तर वैदिक काल में कठोर वर्ण व्यवस्था ओर कर्मकाण्ड की अति हुई तो इसका विरोध प्रारम्भ हुआ। यूँ तो यह विरोध बहुत पहले चारवाक और आजीवकों ने शुरू कर दिया था परन्तु उनके अपने विचारों के पीछे कोई ठोस दर्शन नहीं था इसलिए उनका प्रभाव जिस तेजी से बढ़ा उसी तेजी से समाप्त हो गया। ई0पू0 563 में भारत की इस पुण्य भूमि पर महात्मा बुद्ध का अवतरण हुआ। यूँ तो वे राजघराने में पैदा हुए थे और उन्हें सभी सुख- सुविधाएँ उपलब्ध थीं परन्तु उन्होंने लोगों के सांसारिक दुःखों की अनुभूति की। उन्होंने इन दुःखों से छुटकारा पाने के उपाय खोजने के लिए तपस्या की और कर्मकाण्ड प्रधान वैदिक धर्म के स्थान पर करूणाप्रधान मानवतावादी बौद्ध धर्म की स्थापना की। भारत में इस धर्म का प्रभाव 500 ई0 से 1200 ई0 तक रहा। इतिहासकार इस काल को बौद्ध काल कहते हैं।

महात्मा बुद्ध ने अपना यह धर्मोपदेश सर्वप्रथम वाराणसी से लगभग 8 किमी0 दूर सारनाथ स्थान पर दिया था। यहाँ से चार शिष्यों के साथ उन्होंने यह कार्य आगे बढ़ाया। इनके इस कार्य में तत्कालीन राजा-महाराजाओं का बड़ा सहयोग रहा। देखते- देखते देश के विभिन्न भागों में बौद्ध मठों

2.3 बौद्ध शिक्षा प्रणाली के मुख्य अभिलक्षण Main Feature of Bodh education System

बौद्ध काल में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा एक नई शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ जिसे बौद्ध शिक्षा प्रणाली कहते हैं। यहाँ बौद्ध शिक्षा प्रणाली के मुख्य अभिलक्षणों (Main Features) का क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत है।

2.3.1 शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त Administation and Finance of Education

बौद्ध शिक्षा प्रणाली के प्रशासन एवं वित्त के सम्बन्ध में तीन तथ्य उल्लेखनीय हैं-

1. शिक्षा पर बौद्ध संघों का नियन्त्रण- बौद्ध भिक्षुओं द्वारा विकसित बौद्ध शिक्षा प्रणाली सीधी बौद्ध संघों के नियन्त्रण में थी , इस पर व्यक्ति विशेष का नहीं , संघ का नियन्त्रण था। संघ ही सभी शिक्षा व्यवस्था को नियंत्रण व संचालित करता था|

2. शासन का संरक्षण प्राप्त- बौद्ध काल में शिक्षा संस्थाओं को शासन का सहयोग वैदिक काल की अपेक्षा बहुत अधिक प्राप्त हुआ। तत्कालीन राजाओं ने इनके भवन निर्माण के लिए धन उपलब्ध

कराया और इनके संचालन के लिए गाँव के गाँव दान में दिए , क्योकि बौद्ध काल में शिक्षा के द्वार सभी के लिय खोल दिये थे| इसलिय शिक्षा का विकास इस समय बहुत तेजी से हुआ|

3. प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क और उच्च शिक्षा सशुल्क- बौद्ध शिक्षा प्रणाली में बच्चों की प्राथमिक एवं उच्च दोनों स्तरों की शिक्षा की व्यवस्था की गई पर प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था निःशुल्क थी और उच्च शिक्षा के छात्रों से शुल्क लिया जाता था।

2.3.2 शिक्षा की संरचना एवं संगठन Structure and Organization of Education

बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षा को तीन स्तरों में बाँटा गया था-

1. प्राथमिक शिक्षा- बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक शिक्षा के द्वार सभी वर्गों के लिय खुलने पर समाज के वंचित वर्ग अपने बच्चो को शिक्षा को दिलाने को लालायित दिखे क्योकि वैदिक कालीन व्यवस्था में शिक्षा के द्वार सभी वर्गों के लिय नही खुले थे | जिनके लिय खुले थे वे भी अपने व्यवसाय की ही शिक्षा प्राप्त कर रहे थे| शिक्षा की व्यवस्था भी बौद्ध मठों एवं विहारों में की जाती थी। यह 6 वर्ष की आयु से 12 वर्ष की आयु तक चलती थी। प्रवेश के समय बच्चों का पबज्जा संस्कार होता था। बौद्ध ग्रन्थ महावग्ग में इस विधि का सविस्तार वर्णन है।

पबज्जा का अर्थ है- बाहर जाना। क्योंकि उस समय बच्चे शिक्षा हेतु परिवार छोड़कर मठ अथवा विहार में जाते थे इसलिए प्रवेश के समय होने वाले संस्कार को पबज्जा संस्कार कहा जाता था। सर्वप्रथम बच्चे का सिर मुंडाया जाता था। फिर उसके घर के वस्त्र उतार कर पीले वस्त्र पहनाए जाते थे और हाथ में दण्ड दिया जाता था। अब उसे मठ अथवा विहार के प्रवेश अधिकारी भिक्षु (शिक्षक) के सम्मुख उपस्थित किया जाता था। वह अपने मस्तक से भिक्षु के चरण स्पर्श करता था। इसके बाद उसके सम्मुख पालथी मार कर जमीन पर बैठता था। भिक्षु उससे निम्नलिखित तीन प्रणों को ऊँचे स्वर में उच्चारित कराता था। इन तीन प्रणों को सरणत्रय (शरणत्रयी) कहा जाता था। ये तीन प्रण थे-

बुद्धं शरणम् गच्छामि।

धम्मं शरणम् गच्छामि।।

संघ शरणम् गच्छामि।।।

इसके बाद गुरू शिष्य को दस उपदेश दे ता था। इसे दस सिक्खा पदानि कहते थे। ये दस उपदेश थे-

(1) अहिंसा का पालन करना , (2) शुद्ध आचरण करना , (3) सत्य न बोलना , (4) सत आहार लेना, (5) मादक वस्तुओं का प्रयोग न करना, (6) परनिन्दा न करना, (7) श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग न करना , (8) नृत्य एवं संगीत आदि से दूर रहना , (9) पराई वस्तु ग्रहण न करना। और (10) सोना, चाँदी, हीरा-जवाहरात आदि कीमती दान न लेना।

बच्चा इनके पालन का प्रण लेता था और इसके बाद उसे मठ अथवा विहार में प्रवेश दिया जाता था और अब उसे श्रमण अथवा सामनेर कहा जाता था।

2. उच्च शिक्षा- उच्च शिक्षा में प्रवेश हेतु एक प्रवेश परीक्षा सम्पन होती थी और योग्य छात्रों को उच्च शिक्षा में प्रवेश दिया जाता था। यह शिक्षा सामान्यतः 12 वर्ष की आयु पर शुरू होती थी और 20-25 वर्ष की आयु तक चलती थी।

3. उपसम्पदा संस्कार एवं भिक्षु शिक्षा - बौद्ध काल में उच्च शिक्षा की समाप्ति के बाद कुछ छात्र (श्रमण अथवा सामनेर) तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे और कुछ भिक्षु शिक्षा में प्रवेश करते थे। भिक्षु शिक्षा में प्रवेश से पहले उनकी पुनः परीक्षा होती थी और परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र श्रमण को दस प्रतिज्ञाओं के अतिरिक्त आठ प्रतिज्ञाएँ और लेनी होती थीं, तब उसे भिक्षु शिक्षा में प्रवेश मिलता था। इसे उपसम्पदा संस्कार कहा जाता था।

यह संस्कार दस भिक्षुओं (उपाध्यायों) की उपस्थिति में होता था। सर्वप्रथम श्रमण भिक्षु का वेश (हाथ में कमण्डल और कन्धे पर चीवर) धारण करता था फिर इन दस भिक्षुओं के सम्मुख उपस्थित होता था , उन्हें प्रणाम करता था और आज्ञा मिलने पर हाथ जोड़कर बैठ जाता था। एक भिक्षु श्रमण का परिचय कराता था और अन्य भिक्षु उससे प्रश्न पूछते थे। परीक्षा में सफल श्रमण अब आठ प्रतिज्ञाएँ करता था- (1) वृक्ष के नीचे निवास करना (2) भिक्षा मांगकर भिक्षा पात्र में भोजन करना (3) भिक्षा द्वारा प्राप्त साधारण वस्त्र पहनना (4) चोरी न करना (5) हत्या न करना (6) मैथुन न करना और (7)अलौकिक शक्तियों का दावा न करना।

इन प्रतिज्ञाओं के लेने के बाद श्रमण को भिक्षु शिक्षा में प्रवेश मिलता था। उस काल में भिक्षु शिक्षा का छात्र अपने गुरू का चुनाव स्वयं करता था। यह शिक्षा 8 वर्ष तक चलती थी। इस शिक्षा को प्राप्त करने के बाद भिक्षु पूर्ण भिक्षु कहलाते थे और अध्यापन एवं धर्म शिक्षा के लिए योग्य माने जाते थे। पर इन कार्यो के सम्पादन के लिए उन्हें आजीवन अविवाहित रहना होता था और संद्य के नियमों का कठोरता से पालन करना होता था। असमर्थता प्रकट करने पर ये पूर्ण भिक्षु संद्य से अलग हो सकते थे।

2.3.3 शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श Aims and Ideals of Education

बौद्ध काल में जिस बौद्ध शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ उसके उद्देश्य एवं आदर्श अति व्यापक थे। यूँ तो ये सामान्यतः वही थे जो वैदिक शिक्षा प्रणाली के थे परन्तु इनका स्वरूप कुछ भिन्न था। यहाँ उन सबका, आज की भाषा में क्रमबद्ध विवेचन प्रस्तुत है।

1. मानव संस्कृति का संरक्षण एवं विकास- बौद्ध धर्म मानव जाति विशेष की नहीं , मानवमात्र की संस्कृति के संरक्षण एवं विकास का पोषक है। यही कारण है कि बौद्ध मठों एवं विहारों में बौद्ध धर्म एवं दर्शन के साथ-साथ अन्य धर्मो, दर्शनों और संस्कृतियों के अध्ययन की व्यवस्था थी। उस काल में सैंकडो़ विद्वान प्राचीन साहित्य के संरक्षण और नवीन साहित्य के निर्माण कार्य में लगे थे। ये प्राचीन ग्रन्थों की हस्तलिखित प्रतियाँ तैयार करते थे और भिन्न- भिन्न भाषाओं में अनुवाद करते थे। इसके साथ-साथ कुछ विद्वान मौलिक साहित्य सृजन भी करते थे और इन सब साहित्य के संरक्षण के लिए उस काल में बड़े-बड़े पुस्तकालयों का निर्माण किया गया था।

2. समाजिक आचरण की शिक्षा - बौद्ध धर्म सामाजिक कल्याण की भावना का पक्षधर रहा है उस समय व्यक्तिगत स्वार्थ की भाबना वहुत बलवती थी गरीब वर्गों पर अत्या चार किया जाता था| इसमे सबसे अधिक बल करूणा और दया पर दिया गया है। बिना करूणा भाव के एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के दुःखों को नहीं समझ सकता | यदि ईमानदारी से सोचें- समझें तो मनुष्य के दुखों का कारण स्वयं मनुष्य ही अधिक होते हैं।

3. ज्ञान का विकास- महात्मा बुद्ध के अनुसार इस संसार के समस्त दुःखों का कारण अज्ञान है अतः उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति के लिए सच्चे ज्ञान के विकास पर बल दिया। बौद्ध शिक्षा का यह प्रमुख उद्देश्य एवं आदर्श था। वैदिक काल में वेद ग्रन्थों के ज्ञान को सच्चा ज्ञान माना जाता था , परन्तु बौद्ध धर्म एवं दर्शन में चार सत्यों का ही वर्णन किया गया है|

4. चरित्र निर्माण- बौद्ध धर्म में आत्मसंयम, करूणा और दया का सबसे अधिक महत्त्व है। बौद्धों की दृष्टि से जो इनका पालन करता है , वही चरित्रवान है। इस चरित्र निर्माण के लिए बौद्ध मठों एवं विहारों में छात्रों को प्रारम्भ से ही 10 नियमों का पालन कराया जाता था, उन्हें सादा जीवन जीने और विनयपूर्ण व्यवहार करने में प्रशिक्षित किया जाता था और बुरे कर्मो से दूर रखा जाता था।

5. कला-कौशल एवं व्यवसायों की शिक्षा- बौद्ध धर्म मनुष्यों को संसार से विमुख होने का उपदेश नही देता, वह तो मनुष्यों को संसार के दुःखों से बचने का उपदेश देता है। तब भूख के दुःख से बचने के लिए कला- कौशल और व्यवसाय कि शिक्षा आवश्यक है। बौद्ध काल तक हमारे देश में कृषि , पशुपालन, कला-कौशल और वाणिज्य के क्षेत्र में काफी प्रगति हो चुकी थी। उत्तर वैदिक काल में व्यवसाय की शिक्षा वर्णानुसार दी जाती थी , बौद्धों ने इसे छात्रों की योग्यता और क्षमता के आधार

2.4 शिक्षा की पाठ्यचर्या Curriculum of Education

बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक, उच्च और भिक्षु, सभी प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था बौद्ध मठों एवं विहारों में होती थी और चूँकि उस समय बौद्ध शिक्षा बौद्ध संघों के नियन्त्रण में थी बौद्ध शिक्षा की पाठ्यचर्या को हम दो आधारों पर देख- समझ सकते है। एक उसके स्तरों (प्राथमिक, उच्च और भिक्षु) के आधार पर और दूसरे उसकी प्रकृति (लौकिक एवं धार्मिक) के आधार पर।

1. प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या- बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक शिक्षा की अवधि 6 वर्ष थी। इस स्तर पर सर्वप्रथम सिद्धरस्त नामक पोथी के द्वारा पाली भाषा के 49 अक्षरों का ज्ञान कराया जाता था और इसके बाद भाषा का पढ़ना- लिखना सिखाया जाता था। तत्पश्चात् शब्द विद्या , शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, हेतु विद्या, और अध्यात्म विद्या नामक 5 विज्ञान पढ़ाए जाते थे। इस स्तर पर बच्चों को बौद्ध धर्म की सामान्य शिक्षाओं का ज्ञान भी कराया जाता था। साथ ही कुछ कला- कौशलों की सामान्य शिक्षा का शुभारम्भ कर दिया जाता था।

2. उच्च स्तर की पाठ्यचर्या- बौद्ध शिक्षा प्रणाली में उच्च शिक्षा की अवधि सामान्यतः 8 वर्ष थी। इस अवधि मे छात्रों को सर्वप्रथम व्याकरण, धर्म, ज्योतिष, आयुर्विज्ञान और दर्शन का सामान्य ज्ञान कराया जाता था और उसके बाद विशिष्ट शिक्षा शुरू की जाती थी। विशिष्ट शिक्षा की पाठ्यचर्या में पाली, प्राकृत और संस्कृत भाषा और इन भाषाओं के व्याकरण एवं साहित्य , खगोलशास्त्र, नक्षत्रशास्त्र ,न्यायशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, कला (चित्रकला, मूर्तिकला और संगीत ,) कौशल (कताई, बुनाई और रंगाई आदि) व्यवसाय (कृषि, पशुपालन एवं वाणिज्य आदि), भवन निर्माण विज्ञान, आयुर्विज्ञान, बौद्ध धर्म, जैन धम, वैदिक धर्म, ईश्वरशास्त्र, तर्क, दर्शन और ज्योतिष, इन सब विषयों एवं क्रियाओं को स्थान दिया गया था।

3. भिक्षु शिक्षा की पाठ्यचर्या- बौद्ध शिक्षा प्रणाली में भिक्षु शिक्षा की अवधि सामान्यतः 8 वर्ष थी, परन्तु जो भिक्षु बौद्ध धर्म- दर्शन का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे , वे अपना अध्ययन आगे भी जारी रख सकते थे। यूँ तो इन्हें केवल बौद्ध धर्म एवं दर्शन का ही ज्ञान कराया जाता था और उसके लिए इनकी पाठ्यचर्या में बौद्ध साहित्य (त्रिपटक, सुवन्त, विनय और धम्म) को रखा गया था, परन्तु धर्म के तुलनात्मक अध्ययन हेतु वैदिक धर्म का भी ज्ञान कराया जाता था। साथ ही उन्हें भवन निर्माण और मठों एव विहारों की सम्पत्ति का लेखा-जोखा रखना सिखाया जाता था।

1.लौकिक पाठ्यचर्या- इसके अन्तर्गत पठन, लेखन, गणित, कला-कौशल और व्यवसायिक शिक्षा (कृषि, पशुपालन, चिकित्सा और वाणिज्य आदि) दी जाती थी।

2. धार्मिक पाठ्यचर्या- धार्मिक पाठ्यचर्या को हम दो भागों में बाँट सकते है-

सामान्य छात्रों की और भिक्षुओं की। सामान्य छात्रों के लिए बौद्ध, जैन और वैदिक धर्मो के अध्ययन की सुविधा उपलब्ध थी। भिक्षुओं की धार्मिक शिक्षा थोडी विस्तृत थी। उन्हें बौद्ध साहित्य- त्रिपटक, सुवन्त, विनय और धम्म का विशेष अध्ययन करना होता था , बौद्ध धर्म की तुलना हेतु वैदिक धर्म का अध्ययन करना होता था, मठों के निर्माण का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना होता था और मठों एवं विहारों की सम्पत्ति का लेखा-जोखा रखना सींखना होता था।

2.4.1 शिक्षण विधियाँ Education Techniques/Methods

बौद्ध काल में बोलचाल की भाषा पाली थी , बौद्धों ने इसी को शिक्षा का माध्यम बनाया। इस काल में मुद्रण कला का तो विकास नहीं हुआ था परन्तु बौद्ध भिक्षुओं ने मुख्य ग्रन्थों की हस्तलिखित प्रतियाँ तैयार कर दी थीं। उन्होंने प्राचीन ग्रन्थों के पाली भाषा में अनुवाद भी कर दिए थे और इन सबको पुस्तकालयों में सुरक्षित रखा था । इन परिस्थितियों में शिक्षण प्रायः मौखिक रूप (व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, तर्क, शास्त्रार्थ और सम्मेलनों) से ही होता था। प्रायोगिक विषयों के शिक्षण के लिए प्रदर्शन, अनुकरण एवं अभ्यास विधियों का प्रयोग किया जाता था।

यहाँ इन सब विधियों के बौद्धकालीन स्वरूप का वर्णन संक्षेप में प्रस्तुत है।

1. प्रश्नोत्तर विधि- प्रश्नोत्तर भी सीखने-सिखाने की स्वाभाविक विधि है। बच्चे प्रारम्भ से ही यह क्या है, यह ऐसा क्यों है, यह ऐसा कैसे हो रहा है आदि प्रश्न पूछते हैं। और बड़े उन्हें इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। बौद्ध काल में इस विधि का प्रयोग इसी रूप में होता था , शिष्य प्रश्न करते थे और भिक्षु (शिक्षक) उत्तर देते थे।

2. अनुकरण विधि- अनुकरण विधि सीखने- सिखाने की स्वाभाविक विधि है। बौद्ध काल में इस विधि का प्रयोग मुख्य रूप से प्राथमिक स्तर पर किया जाता था , भाषा की शिक्षा की शुरू आत तो

इसी विधि से की जाती थी। शिक्षक अक्षरों का उच्चारण करते थे , छात्र उनका अनुकरण करते थे , क्रियाप्रधान विषयों के शिक्षण में भी इसी विधि का प्रयोग किया जाता था।

3. व्याख्या विधि- चीनी यात्री हेनसांग ने अपने भारत यात्रा वर्णन में लिखा है। कि शिक्षक छात्रों को पाठ्यवस्तु का अर्थ बताते थे और पाठ्यवस्तु की सविस्तार व्याख्या करते थे इस विधि का प्रयोग उच्च स्तर पर विशेष रूप से किया जाता था।

4. वाद-विवाद एवं तर्क विधियाँ- उस काल में विवादस्पद विषयों का शिक्षा वाद- विवाद और तर्क विधियों से होता था। अपने- अपने मत की पुष्टि में 8 प्रकार के प्रमाण (सिद्धान्त, हेतु, उदाहरण, साधर्म्य, वैर्धम्य, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम्) प्रस्तुत किए जाते थे।

5. व्याख्यान विधि- बौद्ध काल में उच्च शिक्षा केन्द्रों में विषय के अधिकारी विद्वान बुलाए जाते थे , उनके व्याख्यान कराए जाते थे, शंका समाधान होता था और इस प्रकार उच्च शिक्षा के छात्र विषयों का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करते थे।

6. सम्मेलन एवं शास्त्रार्थ- बौद्ध काल में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सम्मेलनों का आयोजन भी होता था। इन सम्मेलनों में विषय विशेषज्ञ आमन्त्रित किए जाते थे। इसे विद्वत् सभा भी कहते थे। इन सम्मेलनों में व्याख्यान होते थे और शास्त्रार्थ होता था। उच्च शिक्षा के छात्र इनको सुनते थे और अपनी शंकाओं का समाधान भी करते थे।

7. प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि- यह अनुकरण विधि का ही उच्च रूप है। उस काल में इस विधि का प्रयोग विभिन्न कलाओं, शिल्पों, व्यावसायिक विषयों और चिकित्सा विज्ञान आदि के शिक्षण के लिए किया जाता था। उपाध्याय यथा क्रिया को करके दिखाते थे , छात्र उनका अनुकरण करते थे , फिर यथा क्रिया को बार-बार करके अभ्यास करते थे और उसमें दक्षता प्राप्त करते थे।

8. देशाटन- इस विधि का प्रयोग मु ख्य रूप से भिक्षु शिक्षा में किया जाता था। भिक्षु शिक्षा के भिक्षुओं को देशाटन के अवसर प्रदान किए जाते थे , उन्हें वास्तविकता जगत को जानने के अवसर दिए जाते थे , मानव समाज की वास्तविकता स्थिति को जानने के अवसर दिए जाते थे और धर्म प्रचार का प्रशिक्षण दिया जाता था।

2.4.2 अनुशासन Disciplane

बौद्ध काल में गुरू और शिष्य दोनों को बौद्ध मठो के नियमों का कठोरता के साथ पालन करना होता था। सामान्य छात्रों को पबज्जा संस्कार के समय बताए गए 10 नियमों (अहिंसा का पालन करना, शुद्ध आचरण करना, सत्य बोलना, सत् आहार लेना, मादक वस्तुओं का प्रयोग न करना, पर निन्दा न करना, श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग न करना, नृत्य एवं संगीत से दूर रहना, पराई वस्तु ग्रहण

न करना, कीमती दान न लेना) का पालन करना होता था और भिक्षु को शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को इनके अतिरिक्त 8 और नियमों (वृक्ष के नीचे निवास करना , सादे वस्त्र धारण करना , भिक्षा माँगकर भोजन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, चोरी न करना, हिंसा से दूर रहना और अलौकिक शक्तियों का दावा न करना) का पालन करना होता था। उस काल में इन नियमों के पालन को ही अनुशासन कहा जाता था। बौद्ध काल में मास में सामान्यतः दो बार छात्र और शिक्षक एक स्थान पर एकत्रित होते थे , अत्मनिरीक्षण करते थे और अपने दोष स्वीकार करते थे। इससे उनमें आत्मानुशासन का विकास होता था। उस काल में गुरू और शिष्य दोनों एक- दूसरे के आचरण पर दृष्टि रखते थे, दोनों एक-दूसरे को सचेत रखते थे और किसी के द्वारा भी नियम भंग होने पर उन्हें दण्ड दिया जाता था। छात्रों को यह दण्ड भिक्षु देते थे पर शारीरिक दण्ड का इस युग में निषेध था। संघ की मर्यादा भंग करने, भिक्षु (शिक्षक) का अपमान करने और शादी करने जैसे अपराध करने वाले छात्रों को मठ एवं विहारों से निकाल दिया जाता था।

2.4.3 शिक्षक (उपाझयाय, उपाध्याय) Teachers

बौद्ध काल में प्राथमिक एवं उच्च, दोनों प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था बौद्ध मठों एवं विहारों में होती थी। उस काल में बौद्ध भिक्षु ही शिक्षण कार्य करते थे और जो बौद्ध भिक्षु शिक्ष ण कार्य करते थे उन्हें उपाझयाय (उपाध्याय) कहा जाता था। उपाध्याय बनने के लिए पहली आनिवार्यता थी- उच्च शिक्षा के बाद 8 वर्ष तक बौद्ध धर्म की उच्च शिक्षा प्राप्त करना , दूसरी अनिवार्यता थी- बौद्ध धर्मावलम्बी होना, तीसरी अनिवार्यता थी- आजीवन अविवाहित रहना और चौथी अनिवार्यता थी- बौद्ध संघों के नियमों का कठोरता से पालन करना। उस समय अति विद्वान , आत्मसंयमी और चरित्रवान भिक्षु ही उपाध्याय हो सकते थे। बौद्ध उपाध्याय अपने शिष्यों (श्रमणों) के आवास एवं भोजन की व्यवस्था करते थे, उनका ज्ञानवर्द्धन करते थे।

2.4.4 शिक्षार्थी (श्रमण, सामनेर) Students

बौद्ध काल में शिक्षार्थियों को श्रमण अथवा सामनेर कहा जाता था। इन्हें बौद्ध मठों एवं विहारों में रहना अनिवार्य था। ये बौद्ध मठों एवं विहारो के नियमों का कठोरता से पालन करते थे। इन्हें मूल रूप से दस आदेशों का पालन करना होता था। ये दस आदेश थे-

(1) अहिंसा का पालन करना , (2) निन्दा न करना , (3) सत् आहार लेना , (4) सत्य बोलना, (5) मादक पदार्थो का सेवन न करना , (6) पराई वस्तु ग्रहण न करना , (7) श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग न करना, (8) सोना, चाँदी, हीरा, जवाहरात आदि कीमती दान न लेना , (9) शुद्ध आचरण करना और (10) नृत्य एवं संगीत आदि से दूर करना ।

बौद्ध काल में गुरू शिष्यों को पुत्रवत् मानते थे और शिष्य गुरूओं को पिता तुल्य मानते थे। उस समय गुरू प्रायः मठो एवं विहारों के प्रशासन एवं शैक्षणिक कार्य की व्यवस्था देखते थे और शिष्य उनके आदेशानुसार विभिन्न कार्यो का सम्पादन करते थे। यहाँ बौद्धकालीन गुरूओं के शिष्यों के प्रति और शिष्यों के गुरूओं के प्रति उत्तरदायित्व एवं कार्यो का वर्णन संक्षेप में प्रस्तुत है।

गुरूओं के शिष्यों के प्रति उत्तरदायित्व- बौद्ध काल में गुरू शिष्यों के प्रति निम्नलिखित उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते थे-

(1) शिष्यों के आवास एवं भोजन की व्यवस्था करना।

(2) शिष्यों के स्वास्थ्य की देखभाल करना, उनके अस्वस्थ होने पर उपचार की व्यवस्था करना।

(3) शिष्यों को पाली भाषा एवं बौद्ध धर्म का ज्ञान कराना।

(4) शिष्यों को उनकी योग्यता एवं क्षमतानुसार विशिष्ट ज्ञान कराना।

(5) शिष्यों को करणीय कर्मो की शिक्षा देना और उन्हें अकरणीय कर्मो से रोकना।

(6) शिष्यों के आचरण पर दृष्टि रखना और उनका चरित्र निर्माण करना।

शिष्यों के गुरूओं के प्रति कर्त्तव्य- बौद्ध काल में शिष्य गुरूओं के प्रति निम्नलिखित कर्त्तव्यों का निर्वाह करते थे-

(1) गुरूओं के जागने से पहले शैयाँ त्यागना, गुरूओं के लिए दाँतून व स्नानादि की व्यवस्था करना।

(2) मठों एवं विहारों की व्यवस्था में गुरूओं का सहयोग करना और उनके आदेशानुसार कार्यो का सम्पादन करना।

(3) मठ एवं विहार निवासियों के लिए गुरूओं के साथ भिक्षा मांगने जाना।

(4) गुरूओं की अन्य सभी प्रकार से सेवा करना।

(5) गुरूओं के आचरण पर दृष्टि रखना और उनके भूल करने पर संद्य को सूचित करना।

2.4.6 परीक्षाएँ एवं उपाधियाँ Examinations and Degrees –

बौद्ध काल में आज की तरह परिक्षाएँ नहीं होती थीं। प्राथमिक स्तर पर तो अधिकारी शिक्षक सन्तुष्ट होने पर उन्हें सफल उद्घोषित करते थे। इस स्तर पर उत्तीर्ण छात्रों की किसी प्रकार का प्रमाणपत्र नहीं दिया जाता था। उच्च स्तर पर भिक्षुओं (शिक्षकों) का एक पैनल छात्रों की मौखिक रूप से परीक्षा लेता था और सफल छात्रों को उपाधियाँ दी जाती थीं।

2.5 शिक्षा के अन्य विशेष पक्ष Other Parts of Education

बौद्ध काल में यूँ तो सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार की शिक्षा की उत्तम व्यवस्था थी परन्तु उस काल में स्त्री शिक्षा , व्यावसायिक शिक्षा का स्वरूप आज से कुछ भिन्न था। अतः यहाँ उन सबका वर्णन संक्षेप में प्रस्तुत है।

i. स्त्री शिक्षा- बौद्ध काल के प्रारम्भ में तो बौद्ध मठों एवं विहारों में स्त्रियों को प्रवेश नहीं दिया जाता था परन्तु बाद में महात्मा बुद्ध ने अपनी विमाता महाप्रजामति और अपने प्रिय शिष्य आनन्द के आग्रह पर उनके प्रवेश की अनुमति प्रदान की। उस काल में स्त्रियों को भी पुरूषों की भाँति संद्य के कठोर नियमों का पालन करना होता था। यूँ सहशिक्षा मठों एवं विहारों में स्त्रियों के रहने के लिए अलग व्य वस्था थी और साथ ही कुछ मठ एवं विहारों में केवल स्त्री शिक्षा की ही व्यवस्था की गई थी परन्तु फिर भी बहुत कम बालिकाएँ इनमें प्रवेश लेती थीं। सचमुच संद्य के नियमों का पालन करना बालिकाओं के लिए एक कठिन कार्य था। कुछ विद्वान इस युग की कुछ विदूषी महिलाओं- शीलभट्टारिका, विजयांका और प्रभुदेवी (कवयित्री), रानी नयनिकाऔर रानी प्रभावती गुप्त (राजनीति की विद्वान), सम्राट अशोक की बहिन (संद्यमित्र) (धर्म विशेषज्ञा) और सम्राट हर्षवर्धन की बहिन (शास्त्रार्थ में निपुण) के नामों का उल्लेख कर यह बताने का असफल प्रयास करते हैं कि उस युग में स्त्री शिक्षा की अच्छी व्यवस्था थी परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं था , इस काल में तो स्त्री शिक्षा और अधिक पिछड़ गई थी।

ii. व्यवसायिक शिक्षा- बौद्ध काल में कला-कौशल और वाणिज्य के क्षेत्र में बडी उन्नति हुई। यह काल भारत के इतिहास का स्वर्णकाल माना जा ता है। उस काल में बच्चों को अपनी योग्यता एवं क्षमतानुसार विभिन्न कला- कौशलों एवं व्यावसायों की शिक्षा दी जाती थी। बौद्ध ग्रंथ महावग्गा में ऐसा उल्लेख है कि उस काल में बौद्ध भिक्षुओं को कताई , बुनाई

और सिलाई का प्रशिक्षण दिया जाता था और अन्य छात्रों को कृषि , पशुपालन और वाणिज्य की शिक्षा दी जाती थी। उस काल में चित्रकला , मूर्तिकला और भवन निर्माण कला आदि की शिक्षा की भी उत्तम व्यवस्था थी। बौद्धों के ग्रंन्थ मलिन्दपान्ह में 18 सिप्पों (शिल्पों) की शिक्षा की व्यवस्था का वर्णन है। उस काल में भिन्न- भिन्न मठों एवं विहारों में भिन्न-भिन्न शिल्पों की शिक्षा दी जाती थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय में दस शिल्पों की शिक्षा की व्यवस्था थी। उस काल में आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत विकास हुआ। वैद्यराज धन्वन्तरि और चरक एवं शल्य चिकित्सक जीवक और सश्रुत इसी काल में हुए थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा का मुख्य केन्द्र था।

2.5.1 बौद्धकालीन मुख्य बौद्ध शिक्षा केन्द्र Main Baudh Education Center of Bodh Periods

बौद्ध काल मे प्रायः सभी मठों एवं विहारों में शिक्षा की व्यवस्था की गई थी , कुछ में केवल प्राथमिक शिक्षा की , कुछ में प्राथमिक और उच्च शिक्षा दोनों की और कुछ में केवल उच्च शिक्षा की। इनमें से तक्षशिला , नालन्दा, वल्लभी और विक्रमशिला उस समय के विश्विख्यात विश्वविद्यालय थे। यहाँ इनका वर्णन संक्षेप में प्रस्तुत है।

I तक्षशिला विश्वविद्यालय

तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर से लगभग 35 किमी0 की दूरी पर स्थित था। वैदिक काल में यह वैदिक शिक्षा का मुख्य केन्द्र था। बौद्ध काल में यह बौद्ध शिक्षा के मुख्य केन्द्र के रूप में विकसित हुआ। प्रारम्भ में यहाँ केवल एक विहार का निर्माण हुआ था पर आगे चलक र यहाँ अनेक विहारों का निर्माण हुआ , बड़े-बड़े शिक्षण कक्ष बने , बड़े-बड़े सभाभवन बने विशाल पुस्तकालय भवन बना, बड़े-बड़े शिक्षक निवास बने, बड़े-बड़े छात्रावास बने और भोजनालय आदि बने और यह एक उच्च श्रेणी के विश्वविद्यालय के रूप मे विकसित हुआ। इस विश्वविद्यालय का प्रमुख भिक्षु कुलपति होता था। उसकी अध्यक्षता में अनेक समितियों का गठन किया जाता था जो विश्वविद्यालय के भिन्न-भिन्न कार्यो के सम्पादन और देख-रेख के लिए उत्तरदायी होती थीं।

इस विश्वविद्यालय में किसी भी क्षेत्र के किसी भी जाति के बच्चों को प्रवेश का अधिकार था। प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 16 वर्ष थी। प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा होती थी , केवल सफल छात्रों को ही प्रवेश दिया जाता था। प्रवेश के समय प्रत्येक छात्र को 1000 तत्कालीन मुद्राएँ देनी होती थीं।

जो छात्र प्रवेश के समय 1000 मुद्राएँ एक मुश्त नहीं दे पाते थे वे सुविधानुसार दे सकते थे और जो छात्र यह शुल्क देने में असमर्थ होते थे वे सेवा कार्य करते हुए शिक्षा प्राप्त कर सकते थे।

II नालन्दा विश्वविद्यालय:-

नालन्दा विश्वविद्यालय संसार का सबसे पहला विश्वविद्यालय था। यह विश्वविद्या लय वर्तमान बिहार प्रान्त के पटना नगर से लगभग 75 किमी0 की दूरी पर स्थित था। यह 550 ई0 पू0 से 450 ई0 तक के 1000 वर्ष लम्बे काल में बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केन्द्र रहा। 5वीं शताब्दी के मध्य में बर्बर हूणों ने इसे नष्ट कर दिया। 5 वीं शताब्दी में जब चीनी यात्री फाहियान भारत आया था तब इसका महत्त्व समाप्त हो चुका था। अब वहाँ इसके कुछ खण्डहर ही अवशेष हैं। यूँ यह संसार का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय होने के कारण मानव जाति की धरोहर है। यूनेस्को ने भी इसे अन्तर्राष्ट्रीय ऐतिहासिक धरोहर माना है।

यह महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य सारिपुत्र की जन्म भूमि थी। यहाँ प्रथम विहार का निर्माण बौद्ध धर्मावलम्बी सम्राट अशोक ने ई 0 पू0 तीसरी शताब्दी में कराया था। ई 0 पू0 द्वितीय शताब्दी में यह शिक्षण केन्द्र के रूप में विकसित हुआ। विश्वविद्यालय तीन भवनों में बँटा था- रत्नसार, रत्नोदधि और रत्नरंजक। रत्नसार में सभी धर्मो से सम्बधित पुस्तकें थीं , रत्नोदधि में विज्ञान आदि से सम्बन्धित पुस्तकें थीं और रत्नरजंक में सभी कलाओं से सम्बन्धित पुस्तकें थीं। इस पुस्तकालय में कुल मिलाकर हजारों पुस्तकें थीं और सैकडो़ विद्वान ग्रंन्थों की प्रतियाँ तैयार करने और एक भाषा के ग्रंन्थों का दूसरी भाषा में अनुवाद करने में लगे थे।

हेनसांग के समय (7वीं शताब्दी) में इसमें 1500 भिक्षु (उपाध्याय, शिक्षक) थे। शीलभद्र इसके कुलपति थे। उस काल के मूर्धन्य विद्वान नागार्जुन इसी विश्वविद्यालय के शिक्षक थे। हेनसांग के समय इसमें देश-विदेश के 10,000 छात्र अध्ययनरत थे। विदेशी छात्रों में चीन , तिब्बत, जापान, कोरिया, बर्मा, सुमात्रा, जावा और लंका के छात्र थे। छात्रों के रहने के लिए छात्रावास थे

III वल्लभी विश्वविद्यालय

बल्लभी नगर भारत के पश्चिम में वर्तमान गुजरात प्रा न्त के काठियावाड़ के निकट स्थित था। चौथी शताब्दी में यह मैत्रक नरेशों की राजधानी था। राजधानी के साथ- साथ यह उस समय अन्तर्राष्ट्रीय बन्दरगाह था और व्यापार का मुख्य केन्द्र था। ऐसा उल्लेख मिलता है कि उस समय इस नगर में 100 करोड़पति (आज के अरबपति) नागरिक रहते थे। इस विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा होती थी और सफल छात्रों को बिना किसी भेदभाव के प्रवेश दिया जाता था। इस विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य बड़े-बड़े कक्षों में होता था और सामूहिक रूप से होता था। हेनसांग की यात्रा के समय (7वीं शताब्दी) में इसमें 200 विद्वान शिक्षण कार्य करते थे। यूँ इस विश्वविद्यालय के शिक्षकों को

अपेक्षाकृत अधिक सुविधाएँ प्राप्त थीं पर वे एकदम सादा एवं संयमित जीवन जीते थे। हेनसांग के समय इसमें 6000 छात्र थे। सभी छात्र सादा एवं संयमित जीवन जीते थे। वल्लभी विश्वविद्यालय उस समय का विश्वविख्यात विश्वविद्यालय था। इसमें देश- विदेश के छात्र शिक्षा प्राप्त करते थे। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक यह पश्चिम भारत में शिखा का मुख्य केन्द्र रहा। इस विश्वविद्यालय के स्नातकों को शासन में उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। 12वीं शताब्दी में यह विनाश को प्रा प्त हो गया।

IV विक्रमशिला विश्वविद्यालय

यह विश्वविद्यालय मगध में गंगा तट पर एक पहाड़ी के ऊपर स्थित था। इसका निर्माण पालवंश के राजा धर्मपाल (770-810) ने आठवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में कराया था। इस विश्वविद्यालय में बड़े-बड़े अध्ययन कक्ष, सभा भवन शिक्षक निवास भवन छात्रवास थे। विश्वविद्यालय भवन के केन्द्र में महाबोधि (भगवान बुद्ध) की मूर्ति स्थापित थी और उसके चारों ओर 108 मन्दिर थे। इस विश्वविद्यालय के चारों ओर पक्की चारदीवारी थी जिसमें 6 द्वार थे। इस विश्वविद्यालय में एक विशाल पुस्तकालय था जिसमें हजारों अलभ्य पुस्तकें थीं विश्वविद्यालय का प्रमुख भिक्षु (कुलपति) विश्वविद्यालय के भिक्षुओं (शिक्षकों) द्वारा निर्वाचित होता था। शिक्षक- इसमें 108 भिक्षु शिक्षण कार्य करते थे। ये सभी सादा एवं संयमित जीवन जीते थे। शिक्षार्थी- इस विश्वविद्यालय में 3000 छात्र पढ़ते थे। छात्र भी सादा एवं संयमित जीवन जीते थे। भिक्षुओं के पैनल द्वारा मौखिक परीक्षा होती थी। सफल छात्रों को उपाधियाँ और प्रमाणपत्र दिए जाते थे। 8 वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के अन्त तक यह वि श्वविद्यालय शिक्षा का मुख्य केन्द्र रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गद्दी पर बैठते ही 1203 में इसे भी अपने सेनापति बख्तियार खिलजी से नष्ट करवा दिया था।

2.5.2 वैदिक शिक्षा प्रणाली और बौद्ध शिक्षा प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन

Compatative Study of Vedice Education System and Vodh education System

भारत में वैदिक काल (2500 ई0 पू0 से 500 ई0 पू0) में जिस शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ उसे वैदिक शिक्षा प्रणाली कहते हैं और उसके बाद बौद्ध काल (500 ई0 पू0 से 1200 ई0) में बौद्धों द्वारा जिस शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ उसे बौ द्ध शिक्षा प्रणाली कहते हैं। यहाँ वैदिक शिक्षा प्रणाली और बौद्ध शिक्षा प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत है , उनकी समानताएँ और असमानताएँ प्रस्तुत हैं।

वैदिक शिक्षा प्रणाली और बौद्ध शिक्षा प्रणाली में समानताएँ

(1) दोनों शिक्षा प्रणालियों में शिक्षा राज्य के नियन्त्रण से मुक्त थी।

(2) दोनों शिक्षा प्रणालियों में शिक्षण संस्थाओं की आय के मुख्य स्रोत दान और भिक्षा थे।

(3) दोनों शिक्षा प्रणालियों में शिक्षा का संगठन प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा , दो स्तरों में किया गया था।

(4) दोनों शिक्षा प्रणालियों में शिक्षा के उद्देश्य लगभग समान थे और छात्रों के चरित्र निर्माणपर विशेष बल दिया जाता था।

(5) दोनों शिक्षा प्रणालियों की पाठ्यचर्या में तब तक विकसित समस्त ज्ञान एवं कला- कौशलों को स्थान दिया गया था।

(6) दोनों शिक्षा प्रणालियों में सामान्य विषय पढ़ानेके लिए मौखिक विधियों (व्याख्या, व्याख्यान, प्रश्नोत्तर एवं वाद-विवाद) का और क्रियात्मक विषय पढ़ाने के लिए प्रदर्शन एवं अभ्यास विधियों का प्रयोग किया जाता था।

(7) दोनों शिक्षा प्रणालियों में शिक्षकों के लिए योग्य एवं संयमी होना आवश्यक था और शिक्षकों को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था।

(8) दोनों शिक्षा प्रणालियों में शिक्षार्थी को शिक्षा संस्थाओं के नियमों का कठोरता से पालन करना होता था, वे सादा एवं संयमित जीवन जीते थे और व्यसनों से दूर रहते थे।

(9) वे दोनों शिक्षा-प्रणालियों में शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच पवित्र और मधुर सम्बन्ध थे।

(10) दोनों शिक्षा प्रणालियों में शिक्षक संस्थाएँ आवासीय थीं , इनमें प्रवेश के समय छात्रों का क्रमशः उपनयन और पबज्जा संस्कार होता था और इनकी व्यवस्था शिक्षक और शिक्षार्थी संयुक्त रूप से करते थे।

वैदिक शिक्षा प्रणाली और बौद्ध शिक्षा प्रणाली में असमानताएँ

(1) वैदिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षा पर गुरूओं का नियन्त्रण था , बौद्ध शिक्षा प्रणाली में यह बौद्ध संघों के नियन्त्रण में थी।

(2) वैदिक शिक्षा प्रणाली में केवल शिष्य भिक्षा माँगते थे और बोलकर माँगते थे ., बौद्ध शिक्षा प्रणाली में गुरू और शिष्य दोनों भिक्षा माँगते थे और मौन होकर माँगते थे।

(3) वैदिक शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था परिवारों में होती थी , बौद्ध शिक्षा प्रणाली में इसकी शिक्षा की व्यवस्था मठों एवं विहारों में होती थी।

(4) वैदिक शिखा प्रणाली में वैदिक धर्म की शिक्षा अनिवार्य थी , बौद्ध शिक्षा प्रणाली में बौद्ध धर्म की शिक्षा अनिवार्य थी।

(6) वैदिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का माध्यम विशुद्ध भाषा संस्कृत थी , बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का माध्यम लोक भाषा पाली थी।

(7) वैदिक शिक्षा प्रणाली में आन्तरिक अनुशासन पर अधिक बल रहता था, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में बाह्य अनुशासन पर।

(8) वैदिक शिक्षा प्रणाली में केवलगुरू ही छात्रों के आचरण पर दृष्टि रखते थे , बौद्ध शिक्षा प्रणाली में गुरू और शिष्य दोनों एक-दूसरे के आचरण पर दृष्टि रखते थे।

(9) वैदिक शिक्षा प्रणाली में केवल ब्राह्मण वर्ण के व्यक्ति ही शिक्षण कार्य करते थे , बौद्ध शिक्षा प्रणाली में किसी भी वर्ण के व्यक्ति (पुरूष अथवा स्त्री) भिक्षु शिक्षा प्राप्त करने के बाद शिक्षण कार्य कर सकते थे।

(10) वैदिक शिक्षा प्रणाली की अपेक्षा बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षार्थियों को अधिक संयम से रहना होता था।

2.5.3 बौद्ध शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन अथवा गुण-दोष विवेचन Explain Merits and Demerits/Evaluation of Bodh Education System

वर्तमान भारत के सन्दर्भ में बौद्ध शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन अथवा गुण-दोष विवेचन प्रस्तुत है।

बौद्ध शिक्षा प्रणाली के गुण :- यदि हम बौद्ध शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन अपने देश भारत की वर्तमान परिस्थितियों और इसकी भविष्य की आकांक्षाओं और सम्भावनाओं के आधार पर करें तो उसमें निम्नलिखित गुण स्पष्ट होंगे। इन गुणों को हमें अपनी शि क्षा प्रणाली में आज भी अपनाना चाहिए।

1. केन्द्रीय प्रशासन- वैदिक काल में शिक्षा गुरूओं के व्यक्तिगत नियन्त्रण में थी , बौद्ध काल में यह संघों के क्रेन्द्रिय नियन्त्रण में हो गई जिससे शिक्षा के स्वरूप में एकरूपता आई और उसका प्रशासन सुचारू रूप से हुआ। आज के लोकतन्त्रीय भारत में शक्ति के विकेन्द्रीयकरण का नारा अवश्य बुलन्द

है परन्तु शिक्षा को उचित स्वरूप और गति देने के लिए उस पर केन्द्रीय नियन्त्रण (केन्द्र सरकार का नियन्त्रण) का होना आवश्यक है।

2. प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क और उच्च शिक्षा सशुल्क- बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक शिाक्षा निःशुल्क थी और उच्च शिक्षा में शुल्क लिया जाता था। सामान्य शिक्षा मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है इसलिए किसी भी लोकतन्त्रीय देश में एक निश्चित स्तर तक की शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य होनी चाहिए। बौद्ध काल में उच्च शिक्षा में प्र वेश योग्यता के आधार पर दिया जाता था और इस स्तर के छात्रों से शुल्क लिया जाता था। सच बात यह है कि उच्च शिक्षा सही रूप में योग्य व्यक्ति ही प्राप्त कर सकते हैं।

3. सभी को शिक्षा के समान अवसर- बौद्ध शिक्षा प्रणाली में सभी वर्णो के बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। इस प्रणाली में जाति और लिंग के आधार पर कोई अन्तर नहीं किया जाता था। आज हम इसकी आवश्यकता तो समझते ही हैं , साथ ही सबको शिक्षा के समान अवसर भी सुलभ कराना चाहते हैं।

4. शिक्षा की विस्तृत पाठ्चर्या और विशिष्टीकरण- बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक एवं उच्च , दोनों स्तरों की पाठ्यचर्या अति विस्तृत थी और उच्च स्तर के छात्रों को विशिष्टीकरण की सुविधा थी। छात्र धर्म, दर्शन, कला-कौशल, व्यवसाय और राजनीति आदि में विशिष्ट योग्यता प्राप्त करते थे। इस प्रणाली में चिकित्सा वि ज्ञान और शल्य चिकित्सा की उच्च शिक्षा की भी व्यवस्था थी। किसी देश के विकास का आधार सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार की शिक्षा होती है।

5. शिक्षण की मौखिक विधियों में सुधार और स्वाध्याय विधि का विकास- बौद्ध शिक्षा प्रणाली के विकास के साथ शिक्षण की मौखिक विधि यों में सुधार किया गया , उनमें छात्रों की भागीदारी को महत्त्व दिया गया। इस काल में अनेक ग्रंन्थों की हस्तलिखित प्रतियाँ तैयार की गई , उन्हें पुस्तकालयों में स्थान दिया गया और उच्च शिक्षा के छात्रों को स्वाध्याय द्वारा ज्ञान प्राप्ति के अवसर दिए गए। आज तो यह बात सभी स्वीकार करते हैं कि पुस्तकालय शिक्षकों के पूरक होते हैं। इस क्षेत्र में हम बौद्ध शिक्षा प्रणाली के ऋणी हैं।

6. शिक्षा का माध्यम लोकभाषा- वैदिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का माध्यम शिष्ट भाषा संस्कृत थी , बौद्ध शिक्षा प्रणाली में उस समय की लोकभाषा पाली को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। इसका लाभ यह हुआ कि सामान्य परिवारों के बच्चों को भी शिक्षा प्राप्त करने मे सुविधा हुई।

7. गुरू-शिष्य का अनुशासित जीवन- बौद्ध शिक्षा प्रणाली में गुरू और शिष्य दोनों संघों के नियमों का कठोरता से पालन करते थे और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों एक- दूसरे के आचरण पर दृष्टि रखते थे। भूल होने पर आम सभा में भूल स्वीकार की जाती थी , पश्चाताप किया जाता था आज

की परिस्थितियों में हम कठोर नियमों की वकालत तो नही करते पर नियमों की वकालत अवश्य करते हैं और उनके पालन की आवश्यकता पर बल देते हैं।

8. गुरू और शिष्यों के बीच पवित्र एवं मधुर सम्बन्ध- बौद्ध शिक्षा प्रणाली का आधार बौद्ध धर्म था जिसमें मानवमात्र के कल्याण की बात है , करूणा और दयाभाव की बात है। यही कारण है कि बौद्ध शिक्षा केन्द्रों में गुरू और शिष्यों के बीच पवित्र एवं मधुर सम्बन्ध थे, गुरू शिष्यों को पुत्रवत् मानते थे और शिष्य गुरूओं को पितातुल्य मानते थे और दोनों एक-दूसरे के प्रति कत्तर्व्यों का पालन पूर्ण निष्ठा से करते थे।

9. सुसंगठित शिक्षा केन्द्रों की स्थापना- यदि आप भारत की शिक्षा के इतिहास पर दृष्टिपात करें तो होगा कि अपने देश में विद्यालयी शिक्षा और कक्षा शिक्षण का शुभारम्भ बौद्ध शिक्षा प्रणाली में हुआ था। उस काल के मठ और विहार आज के विद्यालयों के रूप में विकसित हुए थे और उनमें एक स्तर छात्रों को बड़े- बड़े कक्षों में एक साथ बैठाकर पढ़ाया जाता था। इतना ही नहीं अपितु इस शिक्षा प्रणाली में उच्च शिक्षा के लिए विश्वविख्यात विश्वविद्यालयों (तक्षशिला, नालन्दा और विक्रमशिला आदि) का निर्माण भी हुआ था जिनमें देश-विदेश के छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण करते थे।

10. स्त्रियों के लिए समान शिक्षा- बौद्ध शिक्षा प्रणाली में स्त्रियों को पुरूषों की भाँति किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था , यह बात दूसरी है कि उस समय उन्हें शिक्षा प्राप्त करने की समान सुविधा उपलब्ध नहीं थी। आज स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने के समान अधिकार के साथ समान सुविधा प्रदान करने का नारा बुलन्द है। हमारे देश में भी यह प्रयत्न किया जा रहा है।

11. कला-कौशल एवं व्यावसायिक शिक्षा का उत्तम प्रबन्ध- बौद्ध शिक्षा प्रणाली में कला-कौशलों, व्यवसायों और भवन निर्माण विज्ञान तथा चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा की उत्तम व्यवस्था थी। यही कारण है कि उस काल में इन सब क्षेत्रों में बहुत विकास हुआ। आज इस क्षेत्र में विज्ञान एवं तकनीकी का प्रवेश हो चुका है

बौद्ध शिक्षा प्रणाली के दोष :- बौद्ध शिक्षा प्रणा ली अपने समय की संसार की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली थी। यदि हम उसे आज की अपनी परिस्थितियों के आधार पर देखें- परखें तो उसमें अनेक दोष पाएँगें। उन दोषों को हम निम्नलिखित रूप में क्रमबद्ध कर सकते हैं-

1. आय के अनिश्चित स्त्रोत एवं भिक्षाटन- बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का प्रशासन बौद्ध संघों के हाथों में था। यूँ इन्हें राज्यों का संरक्षण प्राप्त था परन्तु यह राज्यों पर निर्भर करता था कि वे इन्हें

कितनी आर्थिक सहायता दें। भोजन आदि की व्यवस्था भिक्षा द्वारा होती थी , गुरू और शिष्य दोनों भिक्षा माँगने जाते थे

2. शिक्षा के उद्देश्यों में संतुलन का अभाव- यूँ बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षा के व्यापक उद्देश्य थे , शिक्षा द्वारा बच्चों के ज्ञान में विकास किया जाता था , अनका चरित्र निर्माण किया जाता था और उन्हें उनकी योग्यतानुसार विभिन्न कला- कौशलों और व्यवसायों की शिक्षा दी जाती थी परन्तु वास्तविकता यह है कि सबसे आधिक बल धार्मिकता के विकास पर दिया जाता था।

3. बोलोचित शिश्रण विधियों का प्रयोग नहीं- बौद्ध शिक्षा प्रणाली में विकसित बालोचित नाटक एवं कहानी विधियों का प्रयोग किया और न ही किन्हीं अन्य बालोचित विधियों का विका स किया, केवल अनुकरण विधि को अपनाया और रटने पर अधिक बल दिया। आज भिन्न- भिन्न विधियों से पढ़ाने पर बल दिया जाता है। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए।

4. कठोर अनुशासन- बौद्ध शिक्षा प्रणाली में पबज्जा संस्कार में स्वीकार किए गए दस नियमों और बौद्ध मठों एवं विहारों के नियमों का पालन करने को ही अनुशासन माना जाता था। ये नियम सचमुच बहुत कठोर थे, बाल, किशोर एवं युवा मनोविज्ञान के प्रतिकूल थे।

5. स्त्री शिक्षा में ह्रास- यूँ बौद्ध शिक्षा प्रणाली में स्त्रियों को पुरूषों की भाँति किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था परन्तु उन्हें भी पुरूष छात्रों की भाँति श्रमण जीवन के कठोर नियमों का पालन करना होता था और बौद्ध मठों एवं विहारों के नियमानुसार जीवन जीना होता था। परिणामतः बहुत कम बालिकाएँ ही बौद्ध मठों एवं विहारों में प्रवेश लेती थीं

6. सैनिक शिक्षा का आभाव- बौद्ध अहिंसा के पुजारी थे, युद्धों को अनावश्यक समझते थे इसलिए उन्होंने अपने कुछ शिक्षा केन्द्रों में ही सैनिक शिक्षा की व्यवस्था की थी। बौद्धों ने एक ओर देशवासियों में अहिंसा की भावना का विकास किया और दूसरी ओर सैनिक शक्ति में ह्रास किया , परिणामतः आगे चलकर देश को विदेशियों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी।

6. धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा के नाम पर बौद्ध धर्म की शिक्षा- बौद्ध शिक्षा प्रणाली में बौद्ध धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी और श्रमणों (छात्रों) के लिए इस धर्म के अनुसार आचरण करना अनिवार्य था। इससे दो हानियाँ हु ई- पहली यह कि अन्य धर्मावलम्बियों ने इन संस्थाओं में प्रवेश नहीं लिया और दूसरी यह कि इन शिक्षण संस्थाओं का विरोध शुरू हो गया। काश इन संस्थाओं को राजाओं का संरक्षण प्राप्त न होता तो ये तभी समाप्त हो गई होतीं।